



Research Paper

History

जैन आगम साहित्य में चित्रत राजतिलक समारोह व उत्तराधिकार नियम

Prof Dr B L Sethi

M.Phil, Ph.D, D.Litt., Director, Trilok Institute of higher Studies and Research , Hotel OM Tower, Church Road, M I Road, Jaipur-302001

Smt. Lalita Yadav

Scholar, Research JJT University Jhunjhunu Rajasthan

राजतिलक समारोह का भी जैन आगम पुराण साहित्य में आचार्य जिनसेन के आदिपुराण में पूर्णतया वर्णन आया है। इस अवसर पर नगर को ध्वजा और पताकाओं से सजाया जाता था। अनन्दभेरी बजती थी वीरवनिताएँ मंगलगान करती और देवांगनाओं द्वारा नृत्य किया जाता था, बन्दीजन मंगलपाठ करते थे और चारों ओर से जय जीत की घोषणा की जाती थी।

राजतिलक समारोह की क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिये सभामण्डप के मध्यभाग में मिट्ठी की बेदी बनायी जाती थी। इस बेदी पर एक आनन्दमण्डप का निर्माण किया जाता था। इस आनन्दमण्डप के ऊपर रत्नों के चूर्ण समूह से रंगावलि तैयार कर चित्रावलि तैयार की जाती थी और नाना प्रकार के विकसित सुगंधित पुष्प वर्षा फैला दिये जाते थे। मणियों से तीक्ति फर्श के ऊपर मोतियों की बदनवारी लटका दी जाती थी और रेशमी वस्त्र के चंदोदाये समी पौर टांग दिये जाते थे। इस मंडप के मध्य भाग में अष्टमंगलद्रव्य देवांगनाएँ दृश्य लिए जाते थे और देवांगनाएँ लोकर अवशिष्ट हरी थीं। लीलारूपैक पैर में नूपुर पहनकर देवांगनाएँ रुनझुन करती हुई भ्रमण कर रही थीं। उनके नूपुरों की ध्वनि बहुत ही मध्य पुर और आनन्दमयी प्रतीत हो रही थी। उत्तराधिकार मिलने वाले राजकुमार को रंगमूदि में सिंहासन स्थापित कर पूर्विदेशा की ओर मुख करके बैठाया जाता था। गन्धर्व मनोहरगान करके थे तथा मंगा वादों की ध्वनियाँ आनन्द का सुजन कर रही थीं। नृत्यानन्दान्वित अधिक क्रिया सम्पन्न होने वाले प्रतिवार का गुणगान करती थी। सामन्त और आंगीनक राजचर्चाओं ऑपराइटिंग सुर्योद कलशों में रखे गये और अधिकै-क्रिया सम्पन्न करती थीं। अधिकै क्रिया के लिए गंगा, सिंचु आदि नदियों का जल लाया जाता था। पुण्यमय गंगाकृष्ण से और सिंचुकृष्ण से भी जल लाया जाता था।

सरस्वती आदि अन्य नदियों से तथा स्वच्छ और निर्मल कुण्डों से जल लाया गया था। वापीजल केसर कुण्डमुख युक्त जल, लवणसमुद्र, नन्दीश्वरदीप आदि प्रसिद्ध स्थानों का जल लाया गया था। इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, नन्दीश्वर समुद्र और स्वयम्भूमण्डण समुद्र का जल भी लाया जाता था। सरयू का जल, तीर्थजल, कपायजल, सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल एवं गर्म कुण्ड का जल लाया गया था। इस तीर्थेपीती जलद्वारा केश, कर्तृरी, चन्दन तथा अनेक जड़ी बूटियाँ मिश्रित कर जलभिषेक किया जाता था। वरदीजन मंगलपाठ करते रहे और उत्तराधिकार प्रदान करने माहाराज उत्तराधिकारी को अष्टेषक के अनन्तर पद बांधते थे। तथा प्राना प्रकार के सुन्दर वस्त्राभूषण भी प्रदान किये जाते थे। उस अवसर पर धार्मिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था।

८५

आदिपुराण में दूत का उल्लेख कई रूपों में आया है। जिस दूत में अमात्य के सम्पूर्ण गुण विद्यमान हो उसे निःसृष्ट्यार्थ, 2 जिसके चौथीर्थ गुण कम हो उसे परमितार्थ और जिसमें आधे गुण कम हो उसे शासनार्थ दत कहा जाता है।

राजदूत को चाहिए कि वह सत्रु देश के बनरक्षक, सीमारक्षक, नगररक्षक, नगरवासियों और जनपदवासियों से मित्रता करें। सत्रु देश की राजधानी, दुर्ग, राज्यसीमा, आय, उपज, आजीविका के साथन राष्ट्ररक्षा के तरीके एवं वहाँ के युपर्य भेदों की दृढ़ता को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सत्रु राजा के दशे में प्राप्ति के लिए वहाँ वहाँ अपने कार्य में सिद्धी प्राप्त कर सकता है।

गांजार

उत्तराधिकार पुराण में गुत्तवरों को राजा का चक्र कहा गया है। नेत्र तो कैवल मुख की शोभा ही बढ़ाते हैं और पदार्थों को देखने का ही कार्य करते हैं पर गुत्तवर रहस्यपूर्ण बातों का पता लगाकर राज्यासान को सदब बनाते हैं। वर्णन आय-है-3

(1) गुप्तचर राज्य-व्यवस्था एवं शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।

(2) प्रजा के सुख एवं उसकी शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों का प

गुप्तचरों द्वारा ही लगता है।

शासन में विधि या गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले की जानकारी गुप्तचर विभाग से ही प्राप्त

गुप्तचर विभाग ही करता था। शासन संचालन के लिए कौटिल्य ने भी सन्धि, विग्रह, चतुररूपाय और तीन शक्तियों को उपयोगी माना है।

अन्तःपर और कन्चकी

जो अन्तःपुर के कुन्तु
कन्तुकी उस समय राजा के अन्तःपुर का रक्षक होता था और वह राजकुमारियों के स्वयंवर के समय स्वयंवर मण्डप में उपरिथित राजा व राजकुमारों का परिचय देने का कार्य करता था। आदिवासी में श्रीती के स्वयंवर के प्रसंग में इसी कार्य को करने वाले कन्तुकी का उल्लेख है। राजा अन्तःपुर में अनेक रानीयों होती थी। वे बारी-बारी से राजा के दास भवन में जाती थीं।

अस्त्र-शस्त्र

जंग्र आयं जिनसेन ने आदिपुराण में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को नाम और कहीं-कहीं उनकी निर्माण सामग्री का भी उल्लेख किया है। इन अस्त्र-शस्त्रों में तलवार, तीर आदि के साथ ही मुद्रग, मुषुण्डी, फरसा, त्रिशूल, अल, भिन्दिमाल, बावल, सेल, झास, शवित्र, मूसल, सव्वल, (लोहे का भाल), चक्र, पास, कोत, धननथ मुख्य हैं। इन समस्त अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख जैन आगम सहित्य में भी हुआ है। 14 आचार्य जिनसेन ने मेघपुत्री और सुनुभि के युद्ध में अनेक प्रकार के बाणों और प्रतिबाणों का उल्लेख किया है। अन्धकार बाण सब जगह अन्धकार कर देता था और लोग अलस्कर के कारण जहाँइयां लेने लगते थे परन्तु उस बाण का प्रभाव दिनकर बांध से नाट्य दिया जाता था। इस प्रकार सिंह तीर का अन्धीकरण तीर से, अग्नितीर का मैथंग तीर से, पर्वत तीर का द्रव्य तीर से, स्पर्श तीर का गरुड़ तीर से, महीवर तीर का अग्नितीर से, गजतीर का सिंह तीर से, प्रभाव समाप्त किया जाता था। इन तीरों के अग्र गध पर अधिकांशतः लोहे के नुकीले फलक लगाये जाते थे और इनकी गति को तेज करने के लिए पीछे पंख लगा दिया जाते थे। आदिपुराण में राजा की दिनचर्या में प्रतिदिन विविध प्रकार के आयुरों, भवनों के निरीक्षण का विवरण मिलता है।

लौह, चर्म, काष्ठ, कपास एवं शस्त्र का निर्माण किया जाता था। सामान्यतः काढ़ और लौह का ही प्रयोग सर्वाधिक होता था। भुजग्राम-बाहु की रक्षा का शरण, शिरशारण— शिर को बचाने की खोली की टोपी और अङ्गभाग— कबच का भी प्रयोग किया जाता था। सेना में कुछ खड़े ग. कुछ बरचा, कुछ भाला, चक्र एवं मुद्रार का भी प्रयोग करने वाले, कुछ उत्तराश्वर धारण करने वाले और कुछ आसंधु का आपादा धारण करने वाले सैनिक रहते हैं। आदिपुराण में निम्न अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग पाया जाता है—

अग्निवाण (अग्नि के समान तीक्ष्णवाणी), अमोघवाण (कभी व्यर्थ न पड़ने वाले बाण), असि, असिधेनुका, आग्नेयवाण, कपिशीर्षक धनुष, कुत्ता (वज्र), कृपाण, कौशियक (तलवार), क्रकच (आरा), खग (वाण), गजवाण, चक्र, चण्डगदपद्ध, चमरंल, चाप, जलवाण, तमवाण, दण्ड, धनुषवाण, निर्धात (वज्र), पवनवाण (भाल), प्रास, भूतुखुखेट, सौनेगकथाय, मुदवर, मेघवाण, यदि, लकृत, लोलावहिनी असिपुत्रिक, वज्र, वज्रकाण्ड धनुष, वज्रउण्डा शिवि, विशिंशु, व्यस्त्र (महारास्तम्भक दिव्यास्त्र), शर्स्त्र, सिंहवाण, सुदर्शन चक्र, सूर्यवाण, सौनन्दिक तलवार, इन अस्त्र-शस्त्रों के अतिरिक्त सेन्य सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री भी उपलब्ध होती है –

अजितंजय रथ (चक्रवर्ती रथ), अभेद कवच (दैदीप्रायमान एवं वाणों से भेदा न जाने वाला), असिकोष, आयुध, आयुषायाम, कवच, ठोप, तनुत्रिक, (शरीर पर धारण करने वाला कवच), तसरक (तलवार की मूर्ति), निंगड (वेणी), निंगार, पत्तन, बल, वैसाहित्यान (पांग चलाने का स्थान), शब्द (निशाना), शरत्राटा (वाणसमूह), शिररव (शिर को बचाने वाली ठोपी), सन्नाह (शरीर पर धारण करनेवाला कवच), सर्वयुद, सर्वमित (कवच धारण किये हुए सैनिक)।

उत्तराधिकार नियम

राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि ज्येष्ठ पुत्र योग्य नहीं होता तो छोटे पुत्र को राजसिंहासन दे दिया जाता था। राजा की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजागण अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर दीक्षा ग्रहण किया करते थे।

राजा व राजपुत्रों के आपसी सम्बन्धों के सम्बन्ध में आदिपुराण से ज्ञात होता है कि राजा राजपुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने की लोलुपाता के कारण उनसे हमेशा शक्ति और भयभीत रहता तथा उन पर कठोर नियन्त्रण रखता था। फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कुछ महत्वाकांक्षी राजपुत्र अवसर पाकर येनकेन प्रकारणे राजा से राजगद्दी छीनकर

या राजा की हत्या करके राजमिहासन पर आरुढ़ हुए हैं। इस प्रकार एक तरफ राजा राजपुतों से आशकित तथा भयभीत रहता था तो वहीं दूसरी तरफ राजपुतों के भयभीत होने के प्रसंग भी जैन आगम में बहुतायत से मिलते हैं। जैसा कि कौटिल्य विधान में कहा गया है कि राजा कोंकड़े के समान अपने पुत्रों से सावधान रहना चाहिए और उत्श्रृंखल राजकुमारों को किसी निश्चित स्थान या दुर्ग आदि में बन्द करके रखना चाहिए। परिणाम स्वरूप ऐसी दशा में राजकुमार राजा के भय से आक्रान्त रहते थे।

1. आचार्य जिनसेन — “आदिपुराण” 37 / 160–170, 84, 44 / 81, 121, 180, 189, 143, 240, 242, 5 / 113, 250, 3 / 172, 105, 10 / 56, 59, 73, 4 / 175, 176
2. आदिपुराण 37 / 85, 165, 36 / 14, 80, 138 डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री — “आदिपुराण में प्रतिपादित भारत” पृष्ठ –374–375
4. शुक्र नीति 1 / 323
5. आदिपुराण 4 / 868–869
- 6.. आदिपुराण 10 / 198–199